न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद

वाद सं0 49 /2008-09

श्रीमती पारवती जनदेवी सरल बनाम् उ0प्र0 सरकार

डवलेपमेन्ट एजूकेशन सोसइटी धारा-143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0

मौजा-मदनपुर, शिकोहाबाद

निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजित की गयी। जिसमें कहा कि प्रार्थीगण मौजा-मदनपुर के खाता संख्या 180 में अंकित गाटा सं0 215 रकवा 0-271है0 व खाता संख्या 213 गाटा संख्या 216 रकवा 0-138है0 कुल दो किता रकवा 0-409है0 के भूमिधर काश्तकार हैं उपरोक्त भाग में शैक्षणिक संस्था का निर्माण है उक्त भाग में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है, उक्त भूमि के गाटा संख्या को लगान से मुक्त करते हुये अकृषक भूमि घोषित किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद से कराई गयी। तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 20.5.2009 को निर्धारित प्रारूप इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गयी। जिसमें कथन किया है कि मौजा-मदनपुर के खाता संख्या 180 में अंकित गाटा सं0 215 रकवा 0-271है0 व खाता संख्या 213 गाटा संख्या 216 रकवा 0-138है0 कुल दो किता रकवा 0-409है0 पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज का निर्माण हो रहा है तथा प्रार्थीगण के उक्त भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है अतः उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, शिकोहाबाद की आख्या दिनांक 20-5-09 का अवलोकन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा-मदनपुर स्थित उक्त गाटा संख्या की भूमि पर कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी को आबादी भूमि घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा-मदनपुर तहसील-शिकोहाबाद स्थित खाता संख्या 180 में अंकित गाटा सं0 215 रकवा 0-271है0 मा0गु0 13-40 रूपया व खाता संख्या 213 गाटा संख्या 216 रकवा 0-138है0 मा0गु0 6-80 रूपया कुल दो किता रकवा 0-409है0 पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलेपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के उपरान्त निर्माण कराये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक 25 -05-2009

(सतीशचन्द्र शुक्ला)

असि0 क0 प्र0श्रेणी/उपजिलाधिकारी

शिकोहाबाद

No. of Application....312....
Name of Applicant ....
Date of Application....01-06-09....
Date of Notice....03-06-09....
No. of words....
Value of C. F. ....200....
Date of Delivery....03-06-09....
Signature of Copy Test....

Compared by....
Copied by....

ATTESTED

KOMARAS

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद

वाद सं0 50 /2008-09

श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलपमेन्ट एजूकेशन सोसइटी बनाम उ0प्र0 सरकार

धारा-143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0

मौजा-मदनपुर, शिकोहाबाद

निर्णय दि. 23/05/09

प्रस्तुत कार्यवाही श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद के द्वारा अन्तर्गत 143 ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर योजित की गयी। जिसमें कहा कि प्रार्थीगण मौजा-मदनपुर के खाता संख्या 92 में अंकित गाटा सं0 19 रकवा 4-618है0 के 1/3 भाग अर्थात् 0-274है0 के भूमिधर काश्तकार हैं उपरोक्त भाग में शैक्षणिक संस्था का निर्माण है उक्त भाग में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं हो रहा है, उक्त भूमि के गाटा संख्या को लगान से मुक्त करते हुये अकृषक भूमि घोषित किये जाने की कृपा करें।

उक्त प्रकरण की जांच तहसीलदार, शिकोहाबाद से कराई गयी। तहसीलदार शिकोहाबाद द्वारा जांच कर अपनी आख्या दिनांक 20 5 2009 को निर्धारित प्रारूप इस न्यायालय को उपलब्ध कराई गयी। जिसमे कथन किया है कि मौजा-मदनपुर के गाटा सं0 19 रकवा 4-618है0 1/3 भाग अर्थात 0-274है0 लगान 13-50 रुपया पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज का निर्माण हो रहा है तथा प्रार्थीगण के उक्त भाग पर कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन नहीं हो रहा है अतः उक्त भूमि को आबादी भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

मैंने वादीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, शिकोहाबाद की आख्या दिनांक 20-5-09 का अवलोकन किया इससे यह स्पष्ट होता है कि मौजा-मदनपुर स्थित उक्त गाटा सख्या की भूमि पर कृषि, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी का कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी को आबादी भूमि घोषित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि मौजा-मदनपुर तहसील-शिकोहाबाद स्थित खाता संख्या 92 गाटा सं0 19 रकवा 4-618है0 के 1/3 भाग अर्थात् 0-274है0 पर श्रीमती पारवती जनदेवी सरल डवलपमेन्ट एजूकेशन सोसाइटी वास्ते श्रीमन्त आर0एल0 सुमन, 30 शैक्षणिक प्रा0 कालेज मदनपुर द्वारा प्रबन्धक/सचिव श्री ग्याप्रसाद सोमेश एडवोकेट पुत्र श्री रामदयाल जाति-जाटव निवासी-मदनपुर परगना व तहसील-शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद की भूमि कृषि भूमि से इतर अकृषक भूमि घोषित की जाती है और उक्त लगान से मुक्त की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ भेजी जाती है कि उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अंकित करें, एक प्रति उप-निबन्धक शिकोहाबाद को भेजी जावे। वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराने के उपरान्त निर्माण करायें। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक 23-05-2009

(सतीशचन्द्र शुक्ला)
असि0 क0 प्र0श्रेणी/उपजिलाधिकारी
शिकोहाबाद

No. of Applicati... R11

Name of ...

Date of ... 01-06-09

Date of ... 02-06-09

No. of ...

Value of C...

Date of ... 03-06-09

Signature of Copyist ...

Compared by

Copied by

ATTESTED

महोदय,

संलग्न सन्दर्भ संख्या 3383 कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फिरोजाबाद, विजय आर० एल० सुमन उच्चतर प्राविधिक शैक्षणिक संस्थान (पालीटेक्निक) मदनपुर की भूमि से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापन चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में स्थलीय व अभिलेखीय जाँच आख्या निम्नवत है

ग्राम - मदनपुर के खाता संख्या 208 पर अंकित गाटा संख्या 215/0.210 हे०, मालगुजारी - 13.40 रू० पर अंकित श्रीमती पार्वती देवी एजुकेशन/रूरल डेवलपमेन्ट/सोसाइटी मदनपुर वास्ते श्रीमन्त आर० एल० सुमन उच्चतर/शैक्षणिक कालेज प्रा० मदनपुर द्वारा प्रबन्धक श्यामप्रसाद सोमरा एडवोकेट पुत्र रामदयाल नि० ग्राम जाब दर्ज अभिलेख में उक्त भूमि संलग्न वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 के खाता संख्या 208 संस्थान के नाम अभिलेखों में दर्ज है तथा निर्माण कराने हेतु भूमि उपलब्ध है आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है

महोदय

— [illegible] आख्या [illegible]
संस्तुति सहित [illegible]

[signature]
07/01/2020
लेखपाल

[signature]
[illegible]

उपजिलाधिकारी

महोदय पत्र सं० 3383/ वि० वि० /2019-20
दिनांक 10-1-2020 के क्रम में
भूमि अभिलेखों में दर्ज है
[illegible] ...

आख्या सेवा में प्रेषित

[signature]
/1/2020

महोदया
तहसीलदार (सिरसागंज)
की आख्या [illegible] संस्तुति
[signature]
07/1/20

ATTESTED

[signature]
प्रधानाचार्य
श्रीमन्त आर एल सुमन यू.पी.एस
(पोलीटेक्निक) संस्थान
[illegible]पुर फिरोजाबाद (उ०प्र०)